




# राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद्



ब्लॉक-5, द्वितीय एवं तृतीय तल

डा. एन. राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल परिसर, जे.एल.एन मार्ग, जयपुर

फोन:- 2705483

फैक्स:- 2701822

क्रमांक:- एफ-14 ( ) / डाइस / राप्राशिप / जय / 2016-17 /

7069


दिनांक:- 20/9/17

जिला परियोजना समन्वयक,  
प्रारम्भिक / माध्यमिक शिक्षा,  
समस्त जिले।


विषय:- यू-डाइस वर्ष 2017-18 के दिशा निर्देशों के संबंध में।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि भारत सरकार के निर्देशानुसार यू-डाइस 2017-18 के Data Capture Fromat (DCF) प्रपत्रों का संग्रहण कर डाटा फीडिंग करवाई जानी है। इसके संदर्भ में जिला, ब्लॉक एवं विद्यालय स्तर से निम्नानुसार कार्यवाही की जानी है:-

क्र.सं.	विन्दु	कार्य योजना
1.	Data Capture Fromat (DCF) मुद्रण एवं आपूर्ति	<ul style="list-style-type: none"><li>सर्व शिक्षा अभियान द्वारा जिला स्तर से मुद्रण एवं आपूर्ति की जावेगी।</li><li>डीसीएफ का विद्यालयों तक वितरण कक्षा 1 से 5, कक्षा 6 से 8 एवं कक्षा 1 से 8 तक के संचालित समस्त राजकीय/निजी विद्यालयों को डीसीएफ वितरण का दायित्व डीपीसी एसएसए तथा कक्षा 1 से 12, कक्षा 6 से 12, कक्षा 1 से 10, कक्षा 6 से 10, कक्षा 9 से 10, कक्षा 9 से 12 एवं कक्षा 11 से 12 तक संचालित विद्यालयों में वितरण का दायित्व डीपीसी आर.एम.एस.ए का होगा।</li></ul>
2.	प्रपत्रों का संग्रहण एवं कार्य की गॉनितरिंग	<ul style="list-style-type: none"><li>कक्षा 1 से 5, कक्षा 6 से 8 एवं कक्षा 1 से 8 तक के संचालित समस्त राजकीय/निजी विद्यालयों को डीसीएफ संग्रहण का दायित्व डीपीसी एसएसए तथा कक्षा 1 से 12, कक्षा 6 से 12, कक्षा 1 से 10, कक्षा 6 से 10, कक्षा 9 से 10, कक्षा 9 से 12 एवं कक्षा 11 से 12 तक संचालित विद्यालयों में संग्रहण का दायित्व डीपीसी आर.एम.एस.ए का होगा।</li><li>पीईईओ अपने क्षेत्राधिकारी में कार्यरत अधीन आने वाले समस्त राजकीय व निजी विद्यालयों के डीसीएफ प्रपत्रों की शत प्रतिशत चैकिंग पीईईओ द्वारा की जावेगी।</li><li>ब्लॉक ऑफिस (आर.पी, कनिष्ठ अभियंता, संदर्भ शिक्षक (आई.ई.डी) एसएसए/नॉडल प्रधानाचार्य आर.एम.एस.ए) द्वारा 10 प्रतिशत सरकारी एवं 10 प्रतिशत निजी कुल 20 प्रतिशत विद्यालयों की सैम्पल चैकिंग की जावेगी।</li><li>जिला कार्यालय द्वारा 5 प्रतिशत परिषद् आर.एम.एस.ए/एसएसए द्वारा 2 प्रतिशत विद्यालयों की डीसीएफ भरते समय आवश्यक रूप से चैकिंग की जावेगी।</li></ul>
3.	राज्य स्तर द्वारा विडियो कॉन्फेसिंग के माध्यम से प्रशिक्षण	<ul style="list-style-type: none"><li>दिनांक 26.09.2017 को Information and Communication Technologies (ICT) केन्द्र के माध्यम से राज्य के समस्त प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य समस्त रा. मा. एवं उ.मा. विद्यालय/पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी (पीईईओ) को विडियो कॉन्फेस के द्वारा प्रथम चरण में प्रशिक्षण दिया जावेगा।</li><li>दिनांक 27.09.2017 को अटल सेवा केन्द्र व जिला एनआईसी केन्द्रों के माध्यम से अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक (एसएसए/आरएमएसए), सहायक परियोजना समन्वयक (डाइस) एसएसए, कार्यक्रम सहायक आरएमएसए, एमआईएस प्रभारी एसएसए, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, एसएसए, संदर्भ व्यक्ति (आर.पी), एसएसए, ब्लॉक नोडल प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य को द्वितीय चरण में प्रशिक्षण दिया जायेगा।</li></ul>
4.	डाइस डाटा का इन्द्रांज (Feeding)	<ul style="list-style-type: none"><li>फीडिंग का कार्य एसएसए के एमआईएस प्रभारी द्वारा करवाई जावेगी।</li><li>फीडिंग के समय जिला एसएसए कार्यालय में पीईईओ/आर.पी फीडिंग स्थल पर उपस्थित होकर सही फीडिंग करवाये।</li><li>आर.एम.एस.ए से सम्बन्धित विद्यालयों की फीडिंग करवाने का दायित्व डीपीसी आर.एम.एस.ए का होगा।</li></ul>



## राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद्



ब्लॉक-5, द्वितीय एवं तृतीय तल

डा. एन. राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल परिसर, जे.एल.एन मार्ग, जयपुर

फोन:- 2705483

फैक्स:- 2701822

क्रमांक:- एफ-14 ( ) / डाइस / राप्राशिप / जय / 2016-17 /

दिनांक:-

5	आंकडों का सत्यापन (Data Verification)	<ul style="list-style-type: none"><li>पीईईओ द्वारा अपने अधीन समस्त राजकीय व निजी विद्यालयों के रिपोर्ट कार्ड जनरेट करवाकर विद्यालयों तक पहुंचाना सुनिश्चित करेंगे साथ ही संस्था प्रधान से रिपोर्ट कार्ड प्रमाणित प्रति प्राप्त कर जिला स्तर तक पहुंचाना सुनिश्चित करें।</li></ul>
6.	डाइस डाटा का सुदृढीकरण (Cleaning)	<ul style="list-style-type: none"><li>पीईईओ के माध्यम से प्राप्त रिपोर्ट कार्ड (प्रमाणित प्रति) के अनुसार डाटा संशोधित कर अन्तिम रूप दिया जायेगा।</li><li>क्लीनिंग कार्यशाला में एमआईएस एसएसए एवं आर.एम.एस.ए द्वारा पूर्ण समय उपस्थित रहकर डेटा को सही करवाया जावेगा।</li></ul>
7.	आंकडों का मिलान	<ul style="list-style-type: none"><li>शाला दर्शन, शाला दर्पण एवं प्राईवेट स्कूल पोर्टल पर फीड डाटा का मिलान डाइस डाटा 2017-18 से होना सुनिश्चित करें।</li></ul>
8.	समन्वयन	<ul style="list-style-type: none"><li>ब्लॉक स्तर पर डीईईओ द्वारा जिला परियोजना समन्वयक (प्रारम्भिक/माध्यमिक शिक्षा), आर.पी, पीईईओ व समस्त विद्यालयों से समन्वयन कर कार्य को समयानुसार सम्पादित करवाया जावेगा।</li></ul>

नोट:- समस्त डीसीएफ प्रपत्रों को पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी (पीईईओ) व संदर्भ व्यक्ति (आर.पी) डाइस के द्वारा प्रमाणित किया जावेगा तथा यह भी सुनिश्चित किया जावेगा कि समस्त प्रपत्रों पर विद्यालय संस्था प्रधान द्वारा सत्यापित किया गया है अथवा नहीं।

(आनंदी)  
निदेशक,

रामाशिप, जयपुर


प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, आयुक्त, राप्राशिप/आर.एम.एस.ए, जयपुर।
2. निजी सहायक, अतिरिक्त आयुक्त, राप्राशिप/आर.एम.एस.ए, जयपुर।
3. उपनिदेशक (डाइस), राप्राशिप/आर.एम.एस.ए, जयपुर।
4. अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, एसएसए/आर.एम.एस.ए., समस्त जिले।
5. रक्षित पत्रावली।


(डॉ. जागा राम)  
आयुक्त  
राप्राशिप, जयपुर

नियंत्रक वित्त (डाइस)

www.rajteachers.com



## राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद



ब्लॉक-5, द्वितीय एवं तृतीय तल

डा. एस. राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल परिसर, जे.एल.एन मार्ग, जयपुर

फोन:- 2705483

फैक्स:- 2701822

क्रमांक:- एफ-14 ( ) / डाइस / राप्राशिप / जय / 2016-17 / 7070

दिनांक:- 20/9/17

जिला परियोजना समन्वयक,  
प्रारम्भिक/माध्यमिक शिक्षा,  
समस्त जिले।

विषय:- यू-डाइस 2017-18 का कार्य समयबद्ध रूप से करवाने के क्रम में।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि एकीकृत जिला शिक्षा सूचना प्रणाली (यू-डाइस) मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार एवं न्यूपा, नई दिल्ली द्वारा शैक्षिक नियोजन हेतु विकसित समयबद्ध शैक्षिक सूचना प्रणाली है, जिसका संग्रहण वर्ष 2017-18 में भी समयबद्ध रूप से किया जाकर डेटा भारत सरकार को भिजवाया जाना है।

यू-डाइस अन्तर्गत कक्षा 1 से 12 सरकारी एवं निजी विद्यालयों का डेटा एकत्रित किया जाता है। जिसके माध्यम से सर्व शिक्षा अभियान एवं राजस्थान माध्यमिक शिक्षा अभियान की योजना का निर्माण किया जाता है तथा विभिन्न प्रकार के समंको को ज्ञात किया जाता है (जैसे- सरकारी एवं निजी विद्यालयों का नामांकन, शिक्षको की सूचना, जीईआर, एनईआर, ड्राफ्ट आउट रेट, ट्रांजिशन रेट, पीटीआर, जेण्डर गेप एवं निर्माण कार्य संबंधी सूचनाएं आदि)।


गत सत्र कतिपय जिलों में रूचि एवं पर्याप्त मॉनिटरिंग के अभाव के कारण निर्माण कार्य, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की संख्या तथा सैकेण्डरी/सी.सै. के डेटा में अत्याधिक विसंगतियां देखी गईं, जिन्हे बार-बार क्लीनिंग करवाकर दूर करना पड़ा। जिससे समय, श्रम एवं संसाधनों का अपव्यय हुआ।

इस वर्ष की यू-डाइस गतिविधियाँ जिलों में प्रारम्भ हो गई है। अतः आप व्यक्तिशः रूचि लेकर निम्न कार्यवाही अपने जिले में सम्पादित करवाये।

1. जिलो के विद्यालयों की अद्यतन सूची तैयार करें तथा उसके अनुसार डीसीएफ का वितरण एवं संग्रहण सुनिश्चित करें। डाइस कोड से मिलान करते हुए यह सुनिश्चित करें कि जिले का कोई भी विद्यालय डीसीएफ वितरण एवं संग्रहण होने से वंचित नहीं रह जायें।
2. विडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा आयोजित प्रशिक्षणों में एडीपीसी, एपीसी (डाइस), एमआईएस इंचार्ज एवं समस्त ब्लॉकों से पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी (पीईईओ), बीईईओ, संदर्भ व्यक्ति (आर.पी) डाइस, एसएसए भाग लें तथा आर.एम.एस.ए कार्यालय से प्रत्येक ब्लॉक से ब्लॉक नॉडल प्रधानाचार्य भाग लें।
3. अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक (एसएसए/आरएमएसए) यह सुनिश्चित करे कि विडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा दिये जा रहे प्रशिक्षण में समस्त संभागी शत प्रतिशत भाग लें।
4. 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर 2017 तक शत प्रतिशत विद्यालयों से डीसीएफ पीईईओ/बीईईओ के माध्यम से संग्रहित करवाकर डाइस कोड से मिलान करवायें तथा शत प्रतिशत विद्यालयों हेतु डीसीएफ संग्रहण सुनिश्चित करें, साथ ही डीसीएफ भरवाने हेतु प्रत्येक ब्लॉको पर पीईईओ/आर.पी/सस्था प्रधान/शिक्षक जिन्हे यू-डाइस की जानकारी हो एवं जो इस कार्य में रूचि लेते हो एसे 5 सदस्यों की समीति बनाकर एकत्रित समस्त डीसीएफ की शत प्रतिशत चैकिंग करवाकर जिले पर समस्त ब्लॉक के डीसीएफ प्रपत्रो को भिजवाया जाना सुनिश्चित करेंगे।
5. डाइस डीसीएफ के संग्रहण के समय पर जिला परियोजना समन्वयक द्वारा 10 विद्यालयों, अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयकों द्वारा 20 विद्यालयों तथा एपीसी द्वारा 30 विद्यालयों में जाकर पूर्ण रूप से जांच उपरान्त डाइस डीसीएफ के डेटा को सत्यापित किया जायें।



## राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद्



ब्लॉक-5, द्वितीय एवं तृतीय तल

डा. एम. राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल परिसर, जे.एल.एन मार्ग, जयपुर

फोन:- 2705483

फैक्स:- 2701822

क्रमांक:-एफ-14 ( )/डाइस/राप्राशिप/जय/2016-17/

दिनांक:-

6. 1 नवम्बर 2017 तक जिले पर डाइस फीडिंग हेतु समस्त व्यवस्थाएँ सुनिश्चित करें। आर.पी/पीईईओ की उपस्थिति में फीडिंग करवाये, विद्यालय रिपोर्ट कार्ड समस्त विद्यालयों तक पहुंचवाकर विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों से फीड किये गये डेटा को सत्यापित करवाया जाना सुनिश्चित करें। रिपोर्ट कार्ड में किसी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर आर.पी/ पीईईओ द्वारा पुनः फीडिंग स्थल पर जाकर त्रुटि पाये गये डेटा को दुरुस्त करवायेगें एवं दुरुस्त करवाये गये डेटा को पुनः विद्यालयों से सत्यापित करवाया जाना सुनिश्चित करेगें।
7. इसी प्रकार समस्त कम्पोनेंट प्रभारियों को सम्बन्धित डेटा की सूचियां देकर प्रमाणीकरण करवाये। सैकण्डरी एवं सीनियर सैकण्डरी विद्यालयों का डेटा आर.एम.एस.ए कार्यालय को देकर उनसे भी डेटा का प्रमाणीकरण करवाये। जिले के एमआईएस प्रभारी द्वारा डेटा की क्लीनिंग करवायें। क्लीनिंग के समय गलत डेटा को संशोधित करवाकर डेटा की सी.डी मय प्रमाण पत्र सहित निर्धारित तिथि तक परिषद् कार्यालय को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।
8. राज्य सरकार द्वारा एकीकृत विद्यालयों को डीसीएफ प्रपत्र पृथक से नहीं भरा जावेगा। जो विद्यालय जिस विद्यालय में एकीकृत किया गया है तो एकीकृत विद्यालय द्वारा सम्पूर्ण सूचना भरी जावेगी। जो विद्यालय एकीकृत किया गया है लेकिन अन्य भवन में संचालित है तो उस भवन, स्टाफ की स्थिति आदि की सूचना भी एकीकृत विद्यालय के डीसीएफ प्रपत्र में भरी जावेगी।

उक्त समस्त व्यवस्थाएँ व्यक्तिशः स्वयं की जिम्मेदारी पर पूर्ण करवाये। जिससे जिले का वैध एवं विश्वसनीय डेटा प्राप्त हो सकें।

संलग्न:- यू-डाइस कलैण्डर 2017-18

(आनंदी)

निदेशक,

रामाशिप, जयपुर

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, आयुक्त, रामाशिप/आर.एम.एस.ए, जयपुर।
2. निजी सहायक, अतिरिक्त आयुक्त, रामाशिप/आर.एम.एस.ए, जयपुर।
3. अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, एसएसए/आर.एम.एस.ए, समस्त जिले।
4. रक्षित पत्रावली।

(डॉ. जोगा राम)

आयुक्त

रामाशिप, जयपुर

नियंत्रक वित्त (डाइस)

www.rajteachers.com

डाइस क्रियान्वयन कलेण्डर 2017-18

क.सं	गतिविधियां	दिनांक
1	विडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रशिक्षण प्रथम चरण:- प्रधानाध्यापक/ प्रधानाचार्य समस्त रा. मा. एवं उ.मा. विद्यालय/पीईईओ द्वितीय चरण:- एडीपीसी (एसएसए, आरएमएसए), एपीसी (डाइस), पीओ (आरएमएसए), ब्लॉक नोडल प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य, एमआईएस	26 सितम्बर 2017 27 सितम्बर 2017
2	डीसीएफ प्रपत्र का संग्रहण	15 अक्टूबर 2017 तक
3	ब्लॉक समिति द्वारा डीसीएफ की शत प्रतिशत चैकिंग	15 अक्टूबर 17 तक
4	डीसीएफ प्रपत्र की फीडिंग	25 अक्टूबर से 5 दिसम्बर 17 तक
5	स्कूल रिपोर्ट कार्ड चैकिंग एवं जिले पर क्लीनिंग कार्य	10 दिसम्बर 17 तक
6	परिषद् कार्यालय डाइस डेटा का संग्रहण	20 दिसम्बर 17 तक

www.rajteachers.com